अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 23 /2022–23

राज्य

बनाम

09
02.12.2022

इदुल अंसारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला – रॉंची .... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 929/डी०सी०बी० दिनांक 18.10.2022 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी इदुल अंसारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला – रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय, रॉंची के कार्यालय मे उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी इदुल अंसारी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. मनिका थाना कांड संख्या 26/22, दिनांक 28.02.2022 धारा 25(1–बी०) /26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट
2. रातू थाना कांड संख्या 78/11, दिनांक– 19.07.2011 धारा 135/138 विद्युत अधिनियम
3. रातू थाना कांड संख्या 217/09, दिनांक– 17.12.2009 धारा 135/138 विद्युत अधिनियम
4. रातू थाना कांड संख्या 31/10, दिनांक– 04.05.2010 धारा 392/411 भा० द०वि०
5. रातु थाना कांड संख्या 214/12, दिनांक– 18.12.2012 धारा 307/26 भा० द०वि०
6. माडर थाना कांड संख्या 09/13, दिनांक– 20.01.2013 धारा

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

302 / 307 / 326 / 34 भा०द०वि०

7. लोहरदगा थाना कांड संख्या 45 / 03, दिनांक– 06.05.2003 धारा 392 / 411 भा० द०वि०
8. कोतवाली थाना कांड संख्या 58 / 98 धारा 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी इदुल अंसारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला – राँची एक अत्यंत ही दुर्दान्त एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। वर्तमान मे जेल से बाहर है। उक्त कुख्यात अपराधकर्मी वर्तमान समय में स्वयं तथा अपने गुर्गो के माध्यम से रातु थाना अन्तर्गत आमजन से जमीन संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु रंगदारी की मांग की जा रही है रातु थाना के आम लोग इदुल अंसारी के नाम से भयाक्रांत है तथा आम जनता गुप्त रूप से रंगदारी की राशि भी देने के लिए विवश होते है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से बोलने की हिम्मत अथवा प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाते है कुख्यात अपराधकर्मी इदुल असारी अपने आवासन को काफी गोपनीय तरीके से रखता है तथा अपने ठिकाना में स्थानीय परिवर्तन करता रहता है । उक्त कुख्यात अपराधकमी के कार्यों से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है तथा भविष्य मे आम जनजीवन के भी प्रभावित होने की संभावना है। इदुल अंसारी घोर असामाजिक व्यक्ति है जिसकी रातु थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियो एवं कार्य से आम जनता विशेषकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सम्पत्ति को भय, खतरा एवं हानि पहुँच रही है तथा भविष्य में लोक सम्पत्ति को हानि पहुँच सकती है तथा उनके उपरोक्त कृत से लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय, रॉची के कार्यालय मे उपस्थिति दर्ज करवाने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी इदुल अंसारी से कारणपृच्छा माँगा गया।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये सारे आरोप बिल्कुल गलत, बनावटी एवं निराधार है। विपक्षी को रातू थाना कांण्ड सं० 78/11 एवं 219/09 मे माननीय न्यायालय द्वारा रिहा कर दिये गये है। रातु थाना काण्ड सं०214/2012 मे अपील विचराधीन है। मांडर थाना काण्ड सं० 09/2013, कोतवाली थाना काण्ड सं० 58/1996 एवं लोहरदगा काण्ड सं० 45/2003 मे विपक्षी को माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष करार किया गया है। विपक्षी अपना जीवनयापन के लिए मजदूरी एवं प्राईवेट नौकरी करते है। विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप बेबुनियाद है ।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 270/2022 दिनांक 25.11.2022 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची के प्रस्ताव को स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्ध जिला बदर/निर्वासन का आदेश पारित करने की अनुशंसा किया है।

विपक्षी द्वारा दायर उपरोक्त कारण पृच्छा संतोषजनक नही है। इनके खिलाफ कई वाद दर्ज है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुन्न रखने के निमित अपराधकर्मी इदुल असारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला –राँची को प्रत्येक दिन पुलीस उपाधिक्षक (मु०) द्वितीय, रॉची के कार्यालय मे उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी इदुल अंसारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला – राँची को दिनांक 10.12.2022 से दिनांक 10.03.2023 तक की अवधि के लिए प्रत्येक दिन पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय, रॉची के कार्यालय मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2)

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 4

(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.12.2022 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.12.2022 से दिनांक 10.03.2023 तक प्रत्येक दिन पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय, राँची के कार्यालय मे उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी इदुल अंसारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला– राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति इदुल अंसारी, पे० मनीर अंसारी, निवासी – हुरहुरी थाना रातु जिला – राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को सूचनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.31 15:26:52 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d